फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री शंकरलाल सेन पिता श्री गणेशलाल जी सेन निवासी व्यास मोहल्ला, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

— अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 76 / 2025**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 08.09.2025	

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा से जरिये पत्र क्रमांक / सू0अ02005 / 2025 / 694 दिनांक 28.08.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी श्री शंकरलाल पिता गणेशलाल सेन नि0 मु0पो0 रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी द्वारा सूचना प्राप्त करने हेतु धारा 19(1) के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र पर अपीलार्थी द्वारा 1979—80 में रेलमगरा थाने में दर्ज मर्ग श्रीमति गीता सेन की मर्ग फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। उक्त समयावधि में उक्त कार्यालय रेलमगरा में संचालित / स्थापित नहीं होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। नियमो के अतंर्गत भी वही सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। जो रेकार्ड में उपलब्ध हो। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना समयावधि में सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गयी थी। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का नोटिस खारिज योग्य है।

लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना सन् 1979—80 में रेलमगरा थाने में दर्ज मर्ग श्रीमति गीता सेन की मर्ग फाईल की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। परन्तु उक्त समयावधि में उक्त कार्यालय रेलमगरा में संचालित / स्थापित नहीं होने

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के कारण प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के रेकार्ड में उपलब्ध नही होने के कारण उक्त सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है। एवं उक्त सूचना बाबत लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा द्वारा जरिये पत्र क्रमांकः सू. अ. अ.,2005/2025/553 दिनांक 31.07.2025 से प्रार्थी को सूचित किया गया।

अतः लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा द्वारा उक्त संबंध में जरिये पत्र से अपीलार्थी को सूचित किये जाने से उक्त अपील को खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)